

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :- 3/अ0प्र0-1-75/23

1685

/पटना, दिनांक :- 11-8-23

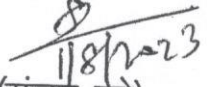
चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री ज्ञान विभाकर, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी-1 द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर वैसे पथ जिनकी स्वीकृति शीर्ष 3054 अंतर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अंतर्गत की गई है, के संबंध में विभाग को भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने आदेश दिया है कि श्री विभाकर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री सुनील कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-3 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री ज्ञान विभाकर, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी-1 सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल छपरा को निदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(संजय दूबे)

विशेष सचिव

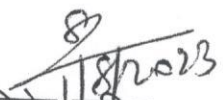
ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-75/23

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- यथोक्त।

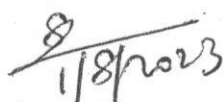

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-75/23

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री सुनील कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-3 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री ज्ञान विभाकर, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :- यथोक्त।


विशेष सचिव

जबा

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-75/23

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/छपरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-75/23

1685

/पटना, दिनांक :- 4-8-23

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव